राजस्थान राज्य

बनाम

उदयलाल

(आपराधिक अपील संख्या 843/2008)

8 मई 2008

[न्यायमूर्ति डॉ अरिजीत पसायत व पी.सथशिवम]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985- धारा 36 ख और धारा 8 सपठित धारा 15- विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण के द्वारा दोषसिद्ध- उच्च न्यायालय द्वारा अपील में निर्णय अपास्त- निर्णय को चुनौती दी गई- यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय सबुतों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने में विफल रहा है और उसने मामुली अनियमितताओ /विरोधाभासों को रेखांकित किया है। अभियुक्त/प्रत्यर्थी को ठोस कारण बताये बिना बरी या दोषमुक्त कर दिया है- उच्च न्यायालय सभी सुसंगत परिस्थितियों और सामग्री को विचार में लाने से विफल रहा है- मामले को नये सिरे से निपटारे के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-अध्याय 29-धारा 374 ।

अफीम के पाउडर वाले थैले कथित तौर पर एक ट्रक से बरामद किये गये। प्रत्यर्थी उस वक्त वह ट्रक चला रहा था। विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस प्रकरण ने उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 सपठित धारा 15 के अन्तर्गत दोषी ठहराया। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे इस आधार पर स्वीकार किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

इस न्यायालय में संस्थित अपील में यह प्रश्न विचारीत करने के लिए उत्पन्न हुआ कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये हुए आरोपों को स्थापित किया और क्या उच्च न्यायालय ने धारा 36ख स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 सपठित अध्याय 29 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों को प्रयोग करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त करने में कोई त्रुटी की।

अपील स्वीकार की जाती है और मामले को नये सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

अभिनिर्धारितः 1.1 साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। यह तथ्य साबित करने के लिए कि दिनांक 19.08.2001 को समय लगभग 3.15 पी एम पर स्टेशन हाउस आफिसर पी.ड.7 ने अभियुक्त/प्रत्यर्थी के कब्जे से अफीम के पाउडर के 119 थैले बरामद किये, जिसके लिए प्रत्यर्थी/अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था, अभियोजन पक्ष ने पी.ड.5, पी.ड.6, पी.ड.7,पी.ड.11 व पी.ड.12 के कथन लेखबद्ध किये। यह तथ्य सही है कि पी.ड.12 को छोड़कर अन्य सभी गवाह पुलिस विभाग से है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र गवाहान पी.ड.1, पी.ड.2, पी.ड.3 व पी.ड.4 के बयान भी लेखबद्ध किये, परन्तु यह चारों स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही हो गये। यद्यपि उक्त गवाहान ने अभियोजन पक्ष द्वारा पर तैयार किये गये दस्तावेजों पर आवश्यक स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। पी.ड.1 की तरह अन्य गवाहों अर्थात् पी.ड.2, पी.ड.3 व पी.ड.4 ने भी न्यायालय में स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजो पर उन्होंने उचित स्थान पर हस्ताक्षर किये है और विशेष न्यायाधीश ने यह भी इंगित किया कि इन गवाहान में से एक ने भी यह कथन नहीं किया कि उनके उक्त हस्ताक्षर उनसे भय, प्रपीड़न या उनकी स्वतंत्र सम्मति के बिना लिये गये है। विशेष न्यायाधीश

ने यह भी देख कि सभी स्वतंत्र गवाह शिक्षित है और उन्होंने उनकी स्वतंत्र सहमति से हस्ताक्षर किये, जिससे यह साबित होता है कि सभी चार गवाहान उस स्थान पर मौजूद थे, जहां अभियोजन पक्ष ने अफीम के पाउडर के थैलों को जब्त करने की कार्यवाही की थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस बात को छोड़कर कि वे पक्षद्रोही हो गये है, अन्य तात्विक पहलुओ पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया। [पैरा-7][44-C-H,45A]

1.2. अन्य सभी गवाहान जैसे पी.ड.5, पी.ड.6, पी.ड.7, पी.ड.10, पी.ड.11 व पी.ड.12 (सिवाए पी.ड.12 के) पुलिस विभाग से संबंधित है। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी साक्ष्य का मामुली विरोधाभासों को इंगित करने के अलावा कोई विश्लेषण नहीं किया है तथा ऐसा करने का उसने कोई उचित कारण भी लेखबद्ध नहीं किया है[पैरा-8] [45-B]

1.3. उच्च न्यायालय सुसंगत पहलुओ पर ध्यान देने में विफल रहा है-जैसे कि जब्त किये गये वस्तुओ (115 थैले) की मात्रा बहुत अधिक है, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अपनी और से 5 थैले न्यायाल में प्रस्तुत किये थे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि बयानों को लेखबद्ध करते समय अन्वेषण अधिकारी ने जब्तशुदा वस्तुओ से लिये गये नमूनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इन परिस्थितियों में, इतनी विशाल मात्रा को ध्यान में रखते हुए केवल इस आधार पर कि अभियोजन पक्ष ने सभी 119 थैले न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये, अभियोजन पक्ष के विरूद्ध अनुमान इंगित नहीं किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश ने यह सही सम्प्रेक्षित किया कि बयान लेखबद्ध करते समय अन्वेषण अधिकारी ने जब्तशुदा वस्तुओ से लिये गये नमूनें न्यायालय में प्रस्तुत किये है। उच्च न्यायालय द्वारा सुसंगत पहलुओ का उचित रूप से निपटारा नहीं किया है। [पैरा 9][45-C,D.E]

1.4. हालांकि उच्च न्यायालय ने यह माना कि विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य व अन्य सामग्री का विश्लेषण करने में त्रुटी की है, लेकिन वास्तव में उच्च न्यायालय एेसा करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय सबुतों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने में विफल रहा है और उसने मामुली अनियमितताओ/विरोधाभासों को रेखांकित किया है। अभियुक्त/प्रत्यर्थी को कमजोर आधारों पर ठोस कारण बताये बिना दोषमुक्त कर दिया है। [पैरा10] [45-एफ]

1.5. उच्च न्यायालय सभी सुसुगत पहलुओ व परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है। धारा 36ख स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, उच्च न्यायालय को अपील की सुनवाई करने व उनका निपटारा करने तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 29 व धारा 374 द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है। यह सुस्थापित विधि है कि उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश या विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय या आदेश को स्पष्टतः गलत पाता है और उस निर्णय या आदेश से न्याय की निष्फलता हो रही हो तो ही उच्च न्यायालय उसमे हस्तक्षेप कर उसे अपास्त करने का अधिकार रखता है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा एेसा कोई मार्ग नहीं अपनाया गया है। [पैरा 10] [46 C, D, E]

खेत सिंह बनाम भारत संघ (2002)4 एस सी सी 380-निर्दिष्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 1050/2002 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 15.09.2005 के विरूद्ध

अपीलकर्ता की और से- मिलिंद कुमार व अरूणेश्वर गुप्ता

निर्णय न्यायमूर्ति पी सथशिवम द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.आपराधिक अपील संख्या 1050/2002 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 15.09.2005, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/उदयलाल को दोषमुक्त कर दिया गया जिसे विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस प्रकरण, चित्तोड़गढ़ द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे इसमें एन डी पी एस अधिनियम कहा गया है) की धारा 8/15 के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे 10 साल के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया था, से व्यथित होकर राजस्थान राज्य ने यह अपील दायर की है।

3. संक्षिप्त तथ्यः अभियोजन के अनुसार 19.08.2001 को समय लगभग 3.05 पी.एम दोपहर में हिम्मत सिंह स्टेशन हाउस आफिसर पुलिस थाना चण्देरिया को मुखबीर से यह सूचना मिली थी कि ट्रक नम्बर और जे 09/जी/0604 द्वारा अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है और यह जानकारी मिलने पर वह, अमर सिंह पी.ड.5, उदय सिंह पी.ड.6, गोपाल सिंह पी.ड.11 और 2 मौतबीर गवाह दिनेश खटीक पी.ड.1 व इकबाल पी.ड.2 के साथ अनुसंधान करने के लिए आवश्यक वस्तुओ को लेकर सरकारी जीप से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निकला। दोपहर 3.15 पी एम पर मिली हुई सूचना के अनुसार वह ट्रक वहां चित्तोड़ की और से आया और उसे इशारा करके रोका गया। ट्रक टार्ड केनवास से ढका हुआ था। केनवास को हटाने के बाद जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में पीछे की तरफ रखे हुए थैलों में मक्का पाया गया और ट्रक के बाकि हिस्से में बोरे पाये गये। मक्के के थैलों की जांच करते समय मादक पदार्थ की गंध महसुस की गई तो चालक उदयलाल को यह नोटिस दिया गया कि उसे किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा या स्वयं स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा ट्रक की तलाशी लिये जाने का विकल्प है। चालक ने स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा तलाशी लिये जाने के लिए लिखित रूप में अपनी सहमति दी। ट्रक की तलाशी के दौरान मक्के के 21 थैलों और अफीम के पाउडर से भरे हुए 119 थैले मिले, जिन्हें उसी समय व

स्थान पर जब्त कर लिया गया तथा जब्त किये गये थेलों में से 5 थेलों में से 500-500 के दो नमूने लिये गये और उसी समय व स्थान पर सील मोहर कर चिन्हित किया गया। अन्य समस्त सामग्री को भी जब्त व सील मोहर कर दिया गया। अभियुक्त उदय लाल को गिरफ्तार किया व उसके विरूद्ध धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि ट्रक में सामग्री को डालचंद ब्राहम्ण द्वारा लोड किया गया था, जिसे भी धारा 8/28 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया।

मामला विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस प्रकरण चित्तोड़गढ़ के समक्ष आया और उन्होंने पक्षकारों को आरोप विरचित करने के बिन्दू पर सुना। अभियुक्त उदय लाल के विरूद्ध 8/15 एन डी पी एस का आरोप विरचित किया गया जबकि अन्य अभियुक्त डालचंद ब्राह्मम्ण को 8/29 के लिए उन्मोचित कर दिया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया। अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में पी.ड.1 ता 12 को परीक्षित करवाया तथा प्रदर्श पी1 से पी 22 प्रदर्शित करवाये। अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् जब अभियुक्त के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये तो उसने कथन किया कि ना तो वह ट्रक चला रहा था और न ही अफीम के थैले उससे बरामद किये गये। अपने बचाव में अभियुक्त ने स्वयं अपने आपको डी.ड.1 के रूप में और डी.ड.2 ता डी.ड.5 को परीक्षित करवाया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने समग्र सामग्री को विचार में लाते हुए व दोनो पक्षों को सुनकर निर्णय व आदेश दिनांक 02.12.2002 द्वारा अभियुक्त को 8/15 एन डी पी एस एक्ट के तहत दोष सिद्ध घोषित किया और उसे पूर्व वर्णितानुसार दण्डित किया।

विद्वान विशेष न्यायाधीश के इस निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर के समक्ष एस.बी.आपराधिक अपील संख्या 1050/2002 प्रस्तुत की। प्रश्नगत निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी तथा विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धी के आदेश को अपास्त कर अपील को स्वीकार किया। उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए राजस्थान राज्य ने सचिव, गृह मंत्रालय विभाग के जरिये यह अपील दायर की।

4. अपीलकर्ता की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मिलिंद कुमार को सुना गया। प्रत्यर्थी की और से कोई उपस्थित नहीं आया।

5. जैसा कि उपर वर्णित है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी को एन डी पी एस एक्ट की धारा 8/15 के लिए आरोपित किया गया। राजस्थान राज्य की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि अभियुक्त स्वापक पदार्थ का परिवहन करते हुए पाया गया और यह मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित पाया गया कि अफीम पाउडर से भरे हुए 119 थैले, जिसमें कुल 4717 किलो अफीम पाउडर था, एक ट्रक से बरामद किये गये, जिस पर केवल अभियुक्त मौजुद था और ट्रक उसके कब्जे में था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा खेत सिंह बनाम भारत संघ 2002 (4) एस सी सी 380 में प्रतिपादित विधि के विरूद्ध होने के कारण पोषणीय नहीं है।

6. जैसा कि पहले कहा गया कि अभियोजन पक्ष ने पी.ड.1 ता 12 को परीक्षित करवाया और दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी.1 से पी.22 तक प्रदर्शित करवाया। यद्यपि विशेष न्यायाधीश ने समग्र सामग्री पर विचार करने और मुल्यांकन करने के बाद अभियोजन

पक्ष के मामले को स्वीकार किया था, किन्तु उच्च न्यायालय ने उसे इन सरल आधारों पर खारिज कर दिया कि प्रथमतः कुछ गवाह पक्षद्रोही हो गये और द्वितीयतः उनकी अनुपस्थिति ही संदिग्ध है। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने का एक और कारण यह भी बताया कि बरामद किये गये कुल 119 थैलों में से केवल 5 थैलों में से नमूने लिये गये और कोई भी गवाह उन नमूनों का सटीक वजन बताने में असफल रहा। उच्च न्यायलय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय ने सभी 119 थैलों को पेश नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में बताये गये कारणों के संदर्भ में राजस्थान राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त सामग्री की और आकर्षित किया। इसका विश्लेषण करने से पूर्व इस आदेश में यह वर्णित करना सुसंगत होगा कि स्वापक औषधि से संबंधित विधि का समेकन व संशोधन करने के लिए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संचालन को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु कठोर उपबंध करने के लिए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध परिवहन में प्रयोग की गई या प्राप्त की गई सम्पति के समपहरण के लिए उपबंध करने तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में हुए अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कराने के लिए संसद द्वारा वर्ष 1985 में इस अधिनियम को पारित किया गया और इसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संचालन के नियंत्रण व विनियमन के लिए कठोर उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। इस पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए हमें यह विश्लेषण करना है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को स्थापित करने में सफल रहा है और क्या उच्च न्यायालय ने धारा 36ख सपठित अध्याय 29 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को न्यायोचित रूप से दोषमुक्त किया है।

7. यह विवादित नहीं है कि साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। यह

तथ्य साबित करने के लिए कि क्या दिनांक 19.08.2001 को समय 3.15 पीएम पर स्टेशन हाउस आफिसर हिम्मत सिंह ने अभियुक्त/उदयलाल के कब्जे से अफीम पाउडर के 119 थैले बरामद किये, जिनके लिए उसके पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। अभियोजन पक्ष ने पी.ड.5 अमर सिंह, पी.ड.6 उदय सिंह, पी.ड.7 हिम्मत सिंह, पी.ड.11 गोपाल लाल व पी.ड.12 मुनीर खान को परीक्षित करवाया। यह सही है कि पी.ड.12 मुनीर खान को छोड़कर अन्य सभी गवाहान पुलिस विभाग से संबंधित है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र गवाहान पी.ड.1 दिनेश, पी.ड.2 इकबाल, पी.ड.3 अजय व पी.ड.4 रमेश के बयान भी लेखबद्ध किये, परन्तु यह चारों स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही हो गये। यद्यपि उक्त गवाहान ने अभियोजन पक्ष द्वारा पर तैयार किये गये दस्तावेजों पर आवश्यक स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। पी.ड.1 की तरह अन्य गवाहों अर्थात् पी.ड.2, पी.ड.3 व पी.ड.4 ने भी न्यायालय में स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजो पर उन्होंने उचित स्थान पर हस्ताक्षर किये है और विशेष न्यायाधीश ने यह भी इंगित किया कि इन गवाहान में से एक ने भी यह कथन नहीं किया कि उनके उक्त हस्ताक्षर उनसे भय, दबाव या उनकी स्वतंत्र सम्मति के बिना लिये गये है। विशेष न्यायाधीश ने यह भी सम्प्रेक्षित किया कि सभी स्वतंत्र गवाह शिक्षित है और उन्होंने उनकी स्वतंत्र सहमति से हस्ताक्षर किये जाना स्वीकार किया है, जिससे यह साबित होता है कि सभी चार गवाहान उस स्थान पर मौजूद थे, जहां अभियोजन पक्ष ने अफीम के भूसे के पाउडर के थेलों को जब्त करने की कार्यवाही की थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस बात को छोड़कर कि वे पक्षद्रोही हो गये है, अन्य तात्विक पहलुओ पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया।

8. अन्य सभी गवाहान जैसे पी.ड.5,पी.ड.6,पी.ड.10,पी.ड.11 व पी.ड.12 सिवाए मुनीर खान के पुलिस विभाग से संबंधित है। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी साक्ष्य को स्वीकार ना करने का मामुली विरोधाभासों को इंगित करने के अलावा कोई विश्लेषण

नहीं किया है तथा ऐसा करने का कोई उचित कारण भी लेखबद्ध नहीं किया है।

9. उच्च न्यायालय सुसंगत पहलुओ पर ध्यान देने में विफल रहा है, जैसे कि जब्त किये गये वस्तुओ (115 थैले) की मात्रा बहुत अधिक है, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अपनी और से 5 थैले न्यायालय में प्रस्तुत किये थे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि बयानों को लेखबद्ध करते समय अन्वेषण अधिकारी ने जब्तशुदा वस्तुओ से लिये गये नमूनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इन परिस्थितियों में, इतनी विशाल मात्रा को ध्यान में रखते हुए केवल इस आधार पर कि अभियोजन पक्ष ने सभी 119 थैले न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये, अभियोजन पक्ष के विरूद्ध अनुमान इंगित नहीं किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश ने यह सही सम्प्रेक्षित किया कि बयान लेखबद्ध करते समय अन्वेषण अधिकारी ने जब्तशुदा वस्तुओ से लिये गये नमूनें न्यायालय में प्रस्तुत किये है। उच्च न्यायालय द्वारा सुसंगत पहलुओ का उचित रूप से निपटारा नहीं किया है।

10. हालांकि उच्च न्यायालय ने यह माना कि विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य व अन्य सामग्री का विश्लेषण करने में त्रुटी की है, लेकिन वास्तव में उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय सबुतों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने में विफल रहा है और उसने मामुली अनियमितताओ/विरोधाभासों को रेखांकित किया है। अभियुक्त/प्रत्यर्थी को ठोस कारण बताये बिना दोषमुक्त कर दिया है। जैसा कि इस न्यायालय ने इंगित किया है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एक विशेष अधिनियम होने के कारण स्वापक औषधिक और मनःप्रभावी पदार्थों के संचालन के नियंत्रण व विनियमन के लिए बनाया गया है। इस संदर्भ में खेत सिंह (उपर वर्णित) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैः

16. इस बिन्दू पर विधि स्पष्ट है कि तलाशी व जब्ती के दौरान संगृहित साक्ष्य ऐसी कार्यवाही करने के दौरान हुई किसी प्रक्रियात्मक अवैधता के कारण अग्राह्य नहीं हो जाता है। न्यायालय को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह तय करना होता है कि इससे अभियुक्त पर गंभीर रूप से प्रतिकुल प्रभाव पड़ा या नहीं? यदि तलाशी और जब्ती के समय विधि और प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है और एकत्रित साक्ष्य से छेड़छाड़ या अन्तर्वेशन किये जाने की संभावना है तो यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार संगृहित साक्ष्य ग्राह्य होने का हकदार नहीं है।

उक्त सिद्धान्तों को मद्देनजर रखते हुए हम संतुष्ट है कि उच्च न्यायालय सभी सुसुगत पहलुओं व परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है। धारा 36ख स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, उच्च न्यायालय को अपील की सुनवाई करने व उनका निपटारा करने तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 29 व धारा 374 द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है। यह सुस्थापित विधि है कि उच्च न्यायालय यदि सत्र न्यायाधीश या विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय या आदेश को स्पष्टतः गलत पाता है और उस निर्णय या आदेश से न्याय की निष्फलता हो रही हो तो ही उच्च न्यायालय उसमे हस्तक्षेप कर उसे अपास्त करने का अधिकार रखता है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

11. उपर वर्णित कमियों को देखते हुए हम राजस्थान राज्य की और से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को अपास्त करते है और मामले के नये सिरे से निपटारे के लिए उसे पुनः प्रेषित करते है। उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया जाता है कि एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 1050/2022 को पुनः दर्ज करे और दोनों पक्षों को अवसर देने के बाद उपर प्रतिपादित

सिद्धान्तों के प्रकाश में उसी को नए सिरे से निस्तारित करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय समस्त सामग्री को विचार में रखकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र है और हम मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते है। हम उच्च न्यायालय से इस अपील को शीघ्रातिशीघ्र और इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति से 6 माह के भीतर भीतर निपटारा करने के लिए निवेदन करते है। अपील को इस विस्तार तक स्वीकार किया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीलम करवा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।